



राजस्थान सरकार
आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर
Block-4, RKS Sankul, JLN Road, Jaipur- 302015, Rajasthan



क्रमांक : एफ.20(101/127/लोसू-2005)आकाशि/2024/166-169 दिनांक : 30-01-2024

लोक सूचना अधिकारी एवं प्राचार्य,
समस्त राजकीय महाविद्यालय(कन्या/विधि महाविद्यालयों सहित),
समस्त क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान।

विषय : सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 25 के अन्तर्गत वर्ष 2023 की सूचना उपलब्ध कराने के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत शासन उप सचिव, उच्च शिक्षा(ग्रुप-3) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर के राजकाज ईपत्रांक प.5(7)शिक्षा/3/2023/5315745/02512 दिनांक 10.01.2024(इस विभाग में प्राप्ति दिनांक 24.01.2024)के साथ संलग्न राजस्थान राज्य सूचना आयोग के पत्र क्रमांक प.3(1)/रा.सू.आ./वा.प्रति./2023/73 दिनांक 02.01.2024 के द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 25 के अन्तर्गत वर्ष 2023 (01 जनवरी, 2023 से 31 दिसम्बर, 2023 तक) का वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन तैयार कर निर्धारित प्रारूप-I, II व III में भरकर सूचना आयोग एवं उच्च शिक्षा(ग्रुप-3) विभाग को भिजवाने हेतु निर्देशित किया है।

अतः प्रकरण की गम्भीरता के दृष्टिगत आपको निर्देशित किया जाता है कि निम्नलिखित प्रारूप में सूचना तत्काल तैयार कर आपके महाविद्यालय की gmail ID पर Spreadsheet में "RTI Information-2023" में दिनांक 12.02.2024 तक भरकर भिजवायें, ताकि शासन उप सचिव, उच्च शिक्षा(ग्रुप-3) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर एवं सचिव, राजस्थान सूचना आयोग, जयपुर को भिजवाई जा सके।

प्रारूप-I व-II

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6(1) के तहत निस्तारित आवेदन व धारा 19 (1) के तहत प्रथम अपीलों का निस्तारण प्रथम अपीलीय अधिकारी आयुक्त, कॉलेज शिक्षा, राज., जयपुर समयावधि वर्ष 2023

जिला का नाम	महाविद्यालय का नाम	ऑनलाईन प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या	ऑफलाईन प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या	कुल प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या 3 + 4	समयावधि में सूचना दी गई आवेदन पत्रों की संख्या	समयावधि पश्चात में सूचना दी गई आवेदन पत्रों की संख्या	अस्वीकृत आवेदन पत्रों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8

लम्बित आवेदन पत्रों की संख्या	प्राप्त राशि रुपये में आवेदन शुल्क एवं सूचना शुल्क दोनों को मिलाकर	आयुक्तालय से महाविद्यालय स्तर पर प्राप्त प्रथम अपीलों की संख्या	निस्तारित प्रथम अपीलों की संख्या	लम्बित प्रथम अपीलों की संख्या
9	10	11	11	12

प्रारूप-III

विभाग/लोक प्राधिकरण के अन्तर्गत वर्ष 2023 में सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के संदर्भ में की गई अनुशासनात्मक कार्यवाही का विवरण

विभाग का नाम	अधिकारी/ कर्मचारी का नाम	अधिकारी/ कर्मचारी का पदनाम	कार्यवाही का विवरण	टिप्पणी
1	2	3	4	5

प्रथम अपील में अपीलार्थी को सूचना प्रमाणित कर निर्णय प्राप्ति के 07 दिवस, 15 दिवस या अविलम्ब रजिस्टर्ड डाक से अपीलार्थी को भिजवाये, जिसकी एक प्रति लोक सूचना अधिकारी एवं संयुक्त निदेशक, प्रशासन (समन्वयक), कॉलेज शिक्षा, जयपुर को प्रेषित करें, जिनके जवाब अपेक्षित हैं :-

राजकीय महाविद्यालय	02/2023 व 03/2023 रा.म.विज्ञान -सीकर	40/2023, 100/2023 101/2023 रा.म.महिला-झुन्झुनू	88/2023 रा.म.- झुन्झुनू	59/2023 रा.म.- पाली	170/2023 रा.म.- निम्बाहेडा
	242/2023 आर.आर.रा.म.- अलवर	277/2023 रा.म.- करणपुर	303/2023 रा.म.- भादरा		

(डॉ. अनिल कुमार यादव)

SPPIO एवं संयुक्त निदेशक, प्रशासन (समन्वयक)

क्रमांक : एफ.20(101/127/लोसू-2005)आकाशि/2024/166-169 दिनांक : 30-1-2024
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित है :-

- सचिव, राजस्थान सूचना आयोग, ओ.टी.एस. परिसर, झालाना लिंक रोड़, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302017 को उनके पत्रांक प.3(1)/रा.सू.आ./वा.प्रति./2023/73 दिनांक 02.01.2024 के संदर्भ में।
- शासन उप सचिव, उच्च शिक्षा(ग्रुप-3) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर के राजकाज ईपत्रांक प.5(7)शिक्षा/3/2023/5315745/02512 दिनांक 10.01.2024 के संदर्भ में।
- विभागीय वेबसाइट प्रभारी, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राज., जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त पत्र को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करें।

SPPIO एवं संयुक्त निदेशक, प्रशासन (समन्वयक)